सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 06/2017 (अपील नामा.)
RCMS NO : 2017/00029

अनवान

1. श्री हंसा पिता धुला गमेती, निवासी चापा की नाल, मेवाड़ो का मठ, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

—प्रार्थी / अपीलान्ट

बनाम

1. श्री रणछा पिता बाबुरा गमेती, निवासी चापा की नाल, मेवाड़ो का मठ, तहसील कोटड़ा।
2. श्री हरमा पिता धुला गमेती, निवासी चापा की नाल, मेवाड़ो का मठ, तहसील कोटड़ा।
3. श्री लाला पिता जंगला गमेती, निवासी चापा की नाल, मेवाड़ो का मठ, तहसील कोटड़ा।
4. श्री कुसा पिता जंगला गमेती, निवासी चापा की नाल, मेवाड़ो का मठ, तहसील कोटड़ा।
5. श्री हिमता पिता जंगला गमेती, निवासी चापा की नाल, मेवाड़ो का मठ, तहसील कोटड़ा।
6. श्री पुना पिता जंगला गमेती, निवासी चापा की नाल, मेवाड़ो का मठ, तहसील कोटड़ा।
7. श्री चीना पिता जंगला गमेती, नाबालिग प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती पाबुरी पत्नि जंगला गमेती निवासी चापा की नाल, मेवाड़ो का मठ, तहसील कोटड़ा।
8. श्री आशा पिता जंगला गमेती, नाबालिग प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती पाबुरी पत्नि जंगला गमेती, निवासी चापा की नाल, मेवाड़ो का मठ, तहसील कोटड़ा।
9. श्री अर्जुन पिता जंगला गमेती, नाबालिग प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती पाबुरी पत्नि जंगला गमेती, निवासी चापा की नाल, मेवाड़ो का मठ, तहसील कोटड़ा।
10. श्री दिनेश पिता जंगला गमेती, नाबालिग प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती पाबुरी पत्नि जंगला गमेती, निवासी चापा की नाल, मेवाड़ो का मठ, तहसील कोटड़ा।
11. श्रीमती पाबुरी पत्नि जंगला गमेती, निवासी चापा की नाल, मेवाड़ो का मठ, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
12. सरकार जरिये तहसीलदार कोटड़ा, जिला उदयपुर।

— विपक्षीगण / रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री सुरेश चंद्र त्रिवेदी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री हरिगोविन्द भट्ट, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 11
3. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील कार्यवाही अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध म्युटेशन सं. 30 न्यायालय तहसीलदार कोटड़ा आदेश दिनांक 31.05.1989

* निर्णय *

दिनांक— 02-07-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध म्युटेशन संख्या 30 तहसीलदार कोटड़ा दिनांक 31.05.1989 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 31.05.1989 को

राजस्व अभियान केम्प डांग पर रेस्पोडेन्ट संख्या 12 तहसीलदार कोटड़ा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 30 को स्वीकार किया गया, जिसमे बाबुरा, धुला पिता भूरा गमेती की मृत्यु हो जाने से विरासत से रणछा पिता बाबुरा 1/2 व हरमा, जंगला पिता धुला 1/2 के नाम नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया गया, जबकि धुला का एक पुत्र हंसा पिता धला का नाम सेवन से दर्ज होना रह गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट का सजरा खानदान निम्न प्रकार है–

भूरा गमेती

बाबुरा (फोत) → रणछा (रेस्पोडेन्ट स. 1) → भेरूलाल (गोद पुत्र) फोत

धुला (फोत) → जंगला (फोत), हरमा (रेस्पोडेन्ट स. 2), हंसा (अपीलांट)

जंगला (फोत) → लाला रेस्पो. 3, कुसा रेस्पो. 4, हिमता रेस्पो. 5, पुना रेस्पो. 6, चीना रेस्पो. 7, आशा रेस्पो. 8, अर्जुन रेस्पो. 9, दिनेश रेस्पो 10, पाबुरी रेस्पो 11

उपरोक्त वर्णित सजरे के अनुसार वादग्रस्त आराजी के मूल पुरूष भूरा गमेती थे। उनके दो पुत्र बाबुरा (फोत) एवं धुला (फोत) हुए। मृतक बाबुरा का एक पुत्र रणछा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हुए एवं मृतक धुला के तीन पुत्र क्रमशः जंगला (फोत), हरमा (रेस्पोडेन्ट स.2) व हंसा अपीलान्ट है तथा मृतक जंगला के 8 पुत्र क्रमशः लाला, कुसा, हिमता, पुना, चीना, आशा, अर्जुन, दिनेश, पाबुरी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 11 है। इस प्रकार मृतक भूरा के उपर वर्णितानुसार विधिक वारिसान है। राजस्व अभियान केम्प डांग पर मौजा चापा की नाल, पटवार हल्का मेवाड़ो का मठ का कोई मोतबीर, पंच अथवा सरपंच उपस्थित नहीं था तथा पटवारी हल्का द्वारा फार्म भरकर पेश किया व नामान्तरकरण को बिना जांच किये रेस्पोडेन्ट संख्या 12 द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। दिनांक 14.07.2017 को अपीलान्ट अपना किसान क्रेड़िट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर उसका नाम राजस्व रेकर्ड मे नहीं होने की जानकारी हुई। अपीलान्ट की मौजुदगी मे उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया है। अपीलान्ट का अपने पिता की सम्पत्ति मे अधिकार होने से विरासत से खोल गये नामान्तरकरण मे अपीलान्ट का नाम जोड़ा जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरकरण को संशोधित फरमाया जाकर अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड मे जोड़ा जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिगोविन्द भट्ट ने वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण मे जवाब पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 31.05.1989 को राजस्व अभियान केम्प ड़ांग मे तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 30 स्वीकार किया गयाहै, जिसमे बाबुरा, धुला की मृत्यु हो जाने से विरासत से रणछा पिता बाबुरा का 1/2 हिस्सा व हरमा, जंगला पिता धुला का 1/2

हिस्सा से नामान्तरकरण स्वीकार किया गया, किन्तु धुला के एक पुत्र अपीलान्ट हंसा पिता धुला का नाम सहवन से नामान्तरकरण मे लिखना रह जाना सही है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया सजरा सही हैं। यदि राजस्व रेकर्ड मे अपीलान्ट का नाम लिख दिया जाता है तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं हैं। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व रेकर्ड मे अपीलान्ट का नाम अंकित किया जाने का रेस्पोडेन्ट संख्या 12 को आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 12 तहसीलदार कोटड़ा से नामान्तरकरण से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिन्होने अपने अपील एवं जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, रेस्पोडेन्ट के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति का गंभीरता से अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर मनन किया। प्रकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 12 तहसीलदार कोटड़ा द्वारा विशेष राजस्व अभियान मे खोले गये नामान्तकरण संख्या 30 से संबंधित हैं, जिसमे सहवन से नामान्तरकरण मे अपीलान्ट का नाम रह जाने का उल्लेख किया गया है। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट्स द्वारा भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत सजरे को स्वीकार किया है एवं अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड मे जोड़े जाने मे कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की हैं। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाना हम उचित समझते है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटड़ा के नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 31.05.1989 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये परीक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षों की पुनः साक्ष्य सबूत प्राप्त कर एवं सुनकर मृतक मूल पुरूष भूरा गमेती के विधिक वारिसान की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण खोलने का विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर